न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः—106/2024

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 88 आर.टी.ए.

1 रतीराम पुत्र वजीरा जाति सांसी निवासीगण जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
2 राजकुमार पुत्र वजीरा जाति सांसी निवासीगण जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
3 रोशनलाल पुत्र वजीरा जाति सांसी निवासीगण जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
4 सन्तुराम पुत्र वजीरा जाति सांसी निवासीगण जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
5 पवन कुमार पुत्र वजीरा जाति सांसी निवासीगण जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ

— वादीगण

बनाम्

1 वजीरा पुत्र मोतीराम जाति सांसी निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 लच्छो पत्नी ओमप्रकाश पुत्री वजीरा जाति सांसी निवासी जण्डावाली तह. व जिला हनु.
3 कालोदेवी पत्नी धोलाराम पुत्री वजीरा जाति सांसी निवासी जण्डावाली तह. व जिला हनुमानगढ
4 रेशमा पत्नी सोनूराम पुत्री वजीरा जाति सांसी निवासी जण्डावाली तह. व जिला हनु.
5 मांगोदेवी पत्नी फिरोज पुत्री वजीरा जाति जाति सांसी निवासी जण्डावाली तह. व जिला हनुमानगढ

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री भवानी सिंह निर्वाण — अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सुरेन्द्र सहारण प्रतिवादी सं. 1 ता 5

—:निर्णयः—

दिनांक 28.3.24

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि यह कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 के पिता है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सख्या 1 के नाम से निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है

(क) चक 6 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077—2080 के खाता संख्या 157/55 के पत्थर नंबर 89/245 (54) किला नंबर 18 से 24, पत्थर नंबर 89/246 (67) किला नंबर 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7 से 9 कुल 2.897 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 579/2897 हिस्सा अर्थात् 0.579 हैक्टेयर।

(ख) चक 4 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077—2080 के खाता संख्या 98/34 के पत्थर नंबर 97/242 (29) किला नंबर 16/1, 16/2, 17, 21 से 25/2, पत्थर नंबर 97/243 (32) किला नंबर 2/1 से 25/2 कुल 7.337 हैक्टेयर में से 1468/7337 हिस्सा अर्थात् 1.468 हैक्टेयर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:34:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि

यह कि वादपत्र की चरण 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 0.579 है0 + 1.468 है0 कुल 2.047 हैक्टेयर कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जो प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 2 से 5 का जन्मतः हक व अधिकार निहित है। वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घराघरू बंटवारा किया हुआ है तथा मुताबिक घराघरू बंटवारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादपत्र की धारा 3 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है जिन्होनें अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को घरू बंटवारा में दीगर चक में कृषि भूमि

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

प्राप्त हुई है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता है। मुताबिक घराघरू बंटवारा वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 2.047 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है तथा मुताबिक बंटवारा वादपत्र की धारा 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.047 हैक्टेयर कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है लेकिन इसी अनुसार कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने से वादीगण के हक, हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा वादीगण राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहे है। इस कारण वादीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक 6 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या 157/55 की कुल 2.897 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 579/2897 हिस्सा अर्थात् 0.579 हैक्टेयर एवं चक 4 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या 98/34 की कुल 7.337 हैक्टेयर में से 1468/7337 हिस्सा अर्थात् 1.468 हैक्टेयर दोनो खातों की कुल 2.047 हैक्टेयर कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादीगण को घरू बंटवारा अनुसार प्राप्त कृषि भूमि की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा देवें लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि वादपत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिए वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

कि घोषणा फरमाई जावें कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि चक 6 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या 157/55 की कुल 2.897 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 579/2897 हिस्सा अर्थात् 0.579 हैक्टेयर एवं चक 4 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या 98/34 की कुल 7.337 हैक्टेयर में से 1468/7337 हिस्सा अर्थात् 1.468 हैक्टेयर दोनो खातों की कुल 2.047 हैक्टेयर कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र सहारण ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। राजीनामा पेश होने के कारण न्यायालय के मत में दोनों पक्षों में [illegible] नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वादी वाद मुताबिक राजीनामा के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:34:54 IST
Reason: SelfAttested

–:क्रियात्मक आदेश:–

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाता है कि:– चक 6 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या 157/55 की कुल 2.897 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 वजीरा के नाम 579/2897 हिस्सा अर्थात् 0.579 हैक्टेयर एवं चक 4 जे.आर.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2077–2080 के खाता संख्या 98/34 की कुल 7.337 हैक्टेयर में से 1468/7337 हिस्सा अर्थात् 1.468 हैक्टेयर दोनो खातों की कुल 2.047 हैक्टेयर कृषि भूमि के वादीगण सं. 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार उक्त दोनों खातों से प्रतिवादी सं. 1 वजीरा का नाम

कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने अपना हक व हिस्सा राजीनामा में वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब त्याग दिया है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा शेष नहीं होगा। यदि स्टाम्प ड्यूटी देय बनती हो तो, तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर नियमानुसार वसूल करेंगे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी की जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.3.24 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:34:54 IST
Reason: SelfAttested